# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या 07/2020**

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| 1. गजेसिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह<br>2. वासुदेव सिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह<br>3. बलदेव सिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह<br>4. सुखदेव सिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह<br>5. हडमानसिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह (जाति राजपूत, निवासी संजय कॉलानी, बासनी कृषि मण्डी के पीछे, जोधपुर) | | 1. फतेहसिंह भाटी पुत्र गोडसिंह (गोदपुत्र सिमरथ सिंह) जाति राजपूत, निवासी ग्राम मालसिंह की सिड, तहसील बाप (जोधपुर) वर्तमान जिला फलौदी<br>हाल निवासी–संजय कॉलानी, बासनी कृषि मण्डी के पीछे, जोधपुर<br>2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप (जोधपुर) वर्तमान जिला फलौदी |

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2016 उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व अपील संख्या 03/2015 बअनवान फतेहसिंह बनाम गजेसिंह वगैरा

उपस्थित–
1. श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई, वकील अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 19.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी बाप (जोधपुर) द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2015 अनवान फतेहसिंह बनाम गजेसिंह में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालसिंह की सिड, वर्तमान राजस्व ग्राम खिदरत तहसील बाप के खसरा नम्बर 190 रकबा 56 बीघा, खसरा नम्बर 86 रकबा 10.13 बीघा एवं खसरा नम्बर 89 रकबा 40.09 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिमरथ सिंह पुत्र पन्नेसिंह एवं मोडसिंह पुत्र सुल्तान सिंह के नाम पूर्व में दर्ज थी। खातेदार सिमरथसिंह व मोडसिंह के फौत हो जाने पर इसका फौतेदगी ना0क0सं0 933 दिनांक 24.01.83 सिमरथसिंह के औलाद नही होना बताते हुए, मोडसिंह के

पुत्रान–अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम पारित किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1–फतेहसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 03/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2016 द्वारा अपील अंदर मियाद शुमार कर अपीलाधीन ना0क0सं0 933 निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार बाप को वादग्रस्त खसरान की भूमि में मुतवफी सिमरथ सिंह के वारिसान की जांच कर, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, सिमरथसिंह के 1/2 हिस्से में नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–रेस्पो0सं0 1 से 5–गजेसिंह वगैरा ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–अपीलांट द्वारा इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई कि राजस्व ग्राम कानसिंह की सिड वर्तमान ग्राम खिदरत तहसील बाप के ख0नं0 190, 86 व 89 की भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलांट एवं रेस्पो0 के पूर्वजों के नाम दर्ज थी, जिसके मूल खातेदार सिमरथसिंह वल्द पन्नेसिंह व मोडसिंह वल्द सुल्तानसिंह थे। सिमरथसिंह व मोडसिंह के फौत होने पर इसका फौतेदगी ना0क0सं0 933 सिमरथसिंह के औलाद नही होना बताकर मोडसिंह के जायंदा पुत्रान–अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम पारित करवा लिया गया, जबकि सिमरथसिंह का एक गोद पुत्र रेस्पो0सं0 1–फतेहसिंह है, जिनका नाम सिमरथसिंह के फौतेदगी ना0क0 में 1/2 हिस्से में दर्ज होना चाहिए था एवं मोडसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान अपीलांट–रेस्पो0सं0 1 से 5 के नाम उनके 1/2 हिस्से में दर्ज होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 933 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को वादग्रस्त खसरान की भूमि में मुतवफी सिमरथसिंह के वारिसान की जांच कर, सिमरथसिंह के 1/2 हिस्से में नामान्तरकरण की कार्यवाही

हेतु रिमाण्ड कर दिया गया। जो उपलब्ध दस्तावेजो के अध्ययन के बिना पारित होने से काबिले निरस्त है।

वस्तुतः पन्नेसिंह के दो पुत्र सिमरथसिंह व सुल्तानसिंह थे। सिमरथसिंह लाऔलाद फौत हो गये थे। सुलतानसिंह के पुत्र मोडसिंह थे तथा मोडसिंह के पुत्र अपीलांट व रेस्पो0सं0 1 है। वक्त बंदोबस्त राजस्व रेकर्ड में सिमरथसिंह व मोडसिंह के नाम ख0नं0 190 व 86 दर्ज थे। जबकि रेस्पो0सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में ख0नं0 89 को भी सिमरथसिंह की बता कर अपील प्रस्तुत कर दी गई। मिसल बंदोबस्त में ख0नं0 89 वक्त सेटलमेंट गोरखा वल्द रावतराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खसरे को अपीलार्थी के पिता द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पति से खरीद किया था, जिसमें सिमरथसिंह व रेस्पा0सं0 1 का कोई लेना–देना नही है। इसके बावजूद बिना किसी आधार के ना0क0 निरस्त कर दिया गया। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

सिमरथसिंह ला–औलाद फौत हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी को गोद नही लिया था। अपीलार्थीगण व रेस्पो0सं0 1 स्व0 मोडसिंह के पुत्र है तथा मोडसिंह के फौत होने पर रेस्पो0सं0 1 व अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए, अगर रेस्पा0सं0 1 सिमरथसिंह का गोद पुत्र होता तो मोडसिंह की जायदाद में अपना नाम दर्ज नही करवाता। रेस्पो0सं0 1 की नियत में खोट आने के कारण एवं सिमरथसिंह की जायदाद हडपने के उद्धेश्य से गोद पुत्र बनने का प्रयास कर रहा है, जो गलत एवं विधिविरूद्ध है। रेस्पो0सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें धारा 5 का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के बावजूद मंजूर कर लिया गया।

फतेहसिंह अपने आप को सिमरथसिंह का गोद पुत्र बता रहा है, जबकि उसके तमाम दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, मार्कशीट, मतदाता सूची, पेनकार्ड, वैवाहिक कार्ड इत्यादि में पिता का नाम मोडसिंह उर्फ भोमसिंह दर्ज है, न कि फतेहसिंह पुत्र सिमरथसिंह। इसके अलावा सिमरथसिंह, फतेहसिंह के जन्म से पूर्व फौत हो चुके थे, इसलिए फतेहसिंह का सिमरथसिंह के गोद पुत्र होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उक्त अपील मात्र अपीलार्थीगण को परेशान करने की नियत से की गई। प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27

सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ फार्म नं0 3 में उल्लेखित पहचान दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि गोद पुत्र लेने व देने की वर्षो पुरानी एक परिपाटी है, जिसमें गांव परिवार एवं रिश्तेदारी व भाई गिनाईत को बुलाकर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गोद पुत्र लिया जाता है, तो उसकी लिखा पढी होकर गोदनामा रजिस्टर किया जाता है तथा वहीभाट में उसका इन्द्राज किया जाता है। उप जिलाधीश (जागीर) जोधपुर को कोई कानूनी अधिकार गोदनामें के बारे में नही दिये गये, ऐसे दस्तावेज बनावटी है। जिस सन् को दस्तावेज को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है, वह दस्तावेज कानूनन कोई महत्त्व नही रखता। मात्र अस्पष्ट फोटो कॉपी को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया, जो निरस्त योग्य होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी वहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि मोडसिंह के पुत्रान के नाम ग्राम मालमसिंह की सिड़, वर्तमान राजस्व ग्राम खिदरत के वादग्रस्त ख0नं0 190, 86 व 89 की दर्ज भूमि, पूर्व में सिमरथसिंह पुत्र पन्नेसिंह तथा मोडसिंह पुत्र सुल्तानसिंह की खातेदारी दर्ज थी। सिमरथसिंह ने अपने जीवन काल में रेस्पो0 को विधिक प्रकिया अपनाकर गोद लिया था। सिमरथसिंह का वर्ष 1961 में देहांत हो गया तथा रेस्पो0 का जन्म दिनांक 20.11.1954 को हुआ, तब रेस्पो0 नावालिग था। इसलिए उपरोक्त दस्तावेज में उसके जैविक पिता मोडसिंह उर्फ भोमसिंह का नाम शुरू से लिखा हुआ है, जो कालांतर में चला आ रहा है तथा यह उसकी जैविक पहचान है। उक्त दस्तावेज पूर्व से ही अपीलांट के पास थे, जो इनके मददगार सावित नही है।

अपीलांट एवं रेस्पो0 के पूर्वज जागीरदार थे, जिस कारण मुआवजा तय करने के लिए जिलाधीश (जागीर) जोधपुर के न्यायालय में उत्तराधिकार बावत प्रकरण संख्या 84/1969 चला एवं विधि अनुसार न्यायालय द्वारा फतेहसिंह को बाद सुनवाई/ कार्यवाही रेकर्डेड खातेदार सिमरथसिंह पुत्र पन्नेसिंह का गोद पुत्र होने का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कमांक 1717 दिनांक 11.09.1969 जारी किया गया। जिससे रेसपो0–फतेहसिंह ने मुआवजा राशि प्राप्त की तथा उक्त उत्तराधिकार प्रमाण रेस्पो0

फतेहसिंह के जैविक पिता मोडसिंह ने दिनांक 06.10.1969 को अपने हस्ताक्षर कर प्राप्त किया, जो उप जिलाधीश (जागीर) जोधपुर की आदेशिका दिनांक 11.09.1969 से साबित है। इससे पूर्व सिमरथसिंह के देहान्त होने के कुछ दिन बाद ही रेस्पो0–फतेहसिंह के जैविक पिता ने तहसीलदार फलौदी को दिनांक 01.05.1961 को रेस्पो0–फतेहसिंह के नाम सिमरथसिंह की कृषि भूमि नामान्तरण के लिए लिखा गया था। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ फार्म नं0 3 में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

इस प्रकार अपीलार्थीगण ने सिमरथसिंह को लाऔलाद फौत होना बताते हुए, उक्त खसरान की भूमि में सिमरथसिंह का 1/2 हिस्सा भूमि का ना0क0सं0 933 मोडसिंह के पुत्रान के हक में स्वीकृत करवा लिया गया, जबकि सिमरथसिंह का विधिक वारिसान रेस्पो0 उस समय मौजूद था। उक्त ना0क0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदनामा प्रमाण–पत्र के आधार पर इसे निरस्त कर दिया गया। जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2015 बअनवान फतेहसिंह बनाम गजेसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19-1-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

19.1.26

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर